#shahjahanpurpol

प्रेस नोट सराहनीय कार्य दिनांक 14.09.23

“थाना कांट पुलिस द्वारा विशेष अभियान के तहत अवैध शस्त्र फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, अवैध शस्त्र निर्माण करते हुए दो शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, निर्मित व अर्द्धनिर्मित शस्त्र व शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद।

पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर श्री अशोक कुमार मीणा के निर्देशानुसार अपराधियो के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री सुधीर जायसवाल के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सदर श्री अमित चौरसिया के पर्यवेक्षण मे थाना कांट पुलिस को बडी सफलता मिली।

दिनांक 13.09.2023 की रात्रि प्रभारी निरीक्षक थाना कांट श्री जयशंकर सिंह के नेतृत्व में थाना कांट की पुलिस टीम मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा दबिश देकर ग्राम उमराह व ग्राम भानपुर के बीच आम के बाग से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करते हुए 02 शातिर अभियुक्तो 1-राधे उर्फ राधेश्याम व 2-रामकिशोर को गिरफ्तार किया गया। मौके से निर्मित व अर्द्धनिर्मित व मरम्मत वाले शस्त्र सहित भारी मात्रा मे शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किये गये। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी का दिनांक , समय व घटनास्थल –

अभियुक्तगण उपरोक्त को बह्द ग्राम उमराह व ग्राम भानपुर के बीच आम के बाग से समय करीब 23.00 बजे दिनांक 13.09.2023 को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. **राधे उर्फ राधेश्याम पुत्र रामलाल उम्र करीब 55 वर्ष निवासी ग्राम जशनपुर थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर हाल पता ग्राम सुल्तानपुर थाना पचदेवरा जिला हरदोई।**
2. रामकिशोर पुत्र रामलाल उम्र करीब 60 वर्ष निवासी ग्राम भण्डेरी थाना काँट जिला शाहजहाँपुर।

बरामदगी का विवरण –

1. एक अदद तमंचा 315 बोर (निर्मित)
2. 12 बोर बन्दूक सिंगल बैरल मरम्मत योग्य
3. एक सिंगल बैरल बन्दूक 12 बोर
4. एक अदद 315 बोर राइफल मरम्मत योग्य
5. एक अदद 315 बोर अर्द्धनिर्मित तमंचा
6. खोखा कारतूस दो अदद
7. भारी मात्रा मे शस्त्र बनाने के उपकरण- हथौडी, स्प्रिंग, रेती, ब्लैड, सुम्मी, छैनी आदि।

पूछताछ का विवरण – पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि राधेश्याम , रामकिशोर का गुरू हैं जिसने रामकिशोर को असलाह बनाना व मरम्मत करना सिखाया। अभियुक्त राधे उर्फ राधेश्याम व रामकिशोर उपरोक्त द्वारा बताया गया कि वह अवैध शस्त्र के मिस्त्री है , पुलिस के चोरी छिपे अवैध शस्त्रों का निर्माण का कार्य करते है , पुराने शस्त्रों की मरम्मत भी करते है। उन दोनो ने विगत काफी समय से बीच में काम लगभग छोड़ दिया था फिर अभी कुछ दिन से शुरु किया है। एक बार में 8-10 शस्त्रों का निर्माण करते है एक तमंचे की कीमत 3000 रूपये से 4000 रूपये में बिक्री करते है। तमंचो का निर्माण जगह बदल बदल कर करते हैं। राधे उर्फ राधेश्याम सर्व प्रथम वर्ष 1997 में अवैध शस्त्र फैक्ट्री/असलाह फैक्ट्री में रामकिशोर के साथ जेल गया था। पुनः वर्ष 2007 में राकेश

निवासी उमराह के साथ असलाह फैक्ट्री में जेल गया। वर्ष 2021 में राधेश्याम अपने साथी रमेश निवासी हिरौरी थाना शाहबाद हरदोई के साथ जेल गया था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2016 में सह अभियुक्तो के साथ थाना बिलासपुर जनपद रामपुर से अवैध शराब फैक्ट्री चलाते समय अवैध शस्त्र व कारतूस के साथ सह अभियुक्तो सहित गिरफ्तार होकर जेल गया था। वर्ष 2010 में थाना जलालाबाद से अवैध शस्त्र व कारतूस के साथ गिरफ्तार होकर जेल गया था । जेल से छुटकर आने के बाद पुनः रामकिशोर के साथ अवैध शस्त्र निर्माण व मरम्मत का कार्य करने लगा। पूछताछ से ज्ञात हुआ हैं कि इनके द्वारा 100 से अधिक अवैध शस्त्र जनपद लखीमपुर ,हरदोई में निर्माण कर बिक्री किये गये हैं। जिसकी बरामदगी का प्रयास किया जा रहा हैं रामकिशोर भी दो बार थाना कांट जनपद शाहजहांपुर से अवैध शस्त्र के निर्माण में पूर्व में जेल जा चुका हैं । पूछताछ कर इनके द्वारा बेचे गये शस्त्रें के संबन्ध में पूछताछ कर जानकारी कर विधिक कार्यवाही की जा रही है । इसके अतिरिक्त असलहा बेचवाने वाले बिचौलियों के संबन्ध में भी पूछताछ कर कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्तगण राधे उर्फ राधेश्याम व रामकिशोर के विरूद्ध इस कार्यवाही से अवैध शस्त्र के विक्री पर प्रभावी अंकुश लगेगा।

पंजीकृत अभियोग –

1.मु0अ0स0-523/2023 धारा – 3/5/25 आर्मस एक्ट बनाम 1.राधे उर्फ राधेश्याम, 2. रामकिशोर।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास – रामकिशोर पुत्र रामलाल

1. मु0अ0सं0 389/2020 धारा 5/25 आयुध अधिनियम थाना कांट।
2. मु0अ0सं0 69/2022 धारा 5/25 आयुध अधिनिमय थाना कांट।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास – राधे उर्फ राधेश्याम पुत्र रामलाल

1. मु0अ0स0 181/2020 धारा 3/5/25 आयुध अधिनियम थाना शाहबाद हरदोई।
2. वर्ष 2016 में अवैध तमंचा व अवैध शराब में थाना बिलासपुर जनपद रामपुर से जेल गये।
3. वर्ष 2021 में अवैध शस्त्र की फैक्ट्री में थाना शाहबाद , जनपद हरदोई से जेल गये।
4. वर्ष 2010 में थाना जलालाबाद से अवैध तंमचे में जेल में गये।
5. मु0अ0सं0 144/1997 में अवैध शस्त्र की फैक्ट्री में थाना कांट से जेल गये।
6. मु0अ0सं0 17/2007 में अवैध शस्त्र की फैक्ट्री में थाना कांट से जेल गये।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम –

1. उ0नि0 राम सुन्दर यादव
2. हे0का0 548 धीरज सिंह
3. हे0का0 143 विजय प्रताप सिंह
4. हे0का0 302 शहनवाज आलम
5. का0 1716 शुभम सिंह
6. का0 2490 सुमित भाटी